एफ-17-35 / 2016 / सामा. / 19 विषय:-रिट अपील.कमांक-51/2016 द्वारा ओम ईलेक्ट्रीकलस विरूद्ध विषय: मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य। ब्बीस-२ सचिवालय का विभाग अवेरिकटत्ने, उत्ताम के की उच्च हपायात्मपु आलिया को दिर अपरीला रायर कर्म के त्रेषण में भेगी पी 8441) का अभाग कारतीय अभाग प्रारत हुवा के। भाग आपील अनुमति हेतु मत्नी विका विमाण के अिता कारना न्यांटेशे।

227

विषय:-रिट अपील.कमांक-51/2016 द्वारा ओम ईलेक्ट्रीकलस विरूद्ध विषम्पयप्रदेश शासन एवं अन्य।

का विभाग

शाकेमुभो-196-उनिशाकेमुभो-17-7-15-5,00,000.

विषय: विषय:-रिट अपील.कमांक-51/2016 द्वारा ओम ईलेक्ट्रीकलस विरूद मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।

> पंजी क्रमांक- /2016/सा./19, दिनांक मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त पत्र

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त पत्र में रिट अपील.कमांक-51/2016 द्वारा ओम ईलेक्ट्रीकलस विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य पीटीशन प्राप्त हुई है। जिसका संबंध कार्यपालन यंत्री,लो.नि.वि.संभाग-क-2,भोपाल से है।

2/ अतः प्रकरण में कार्यपालन यंत्री,लो.नि.वि.संभाग- क-2,भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तद्नुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ ।

- 2-िविषय:-|रूट अपील.कमांक-51 / 2016 द्वारा ओम ईलेक्ट्रीकलस विरुद्ध म्बिपप्रिचेश शासन एवं अन्य। छब्बीस-२ सचिवालय का विभाग अवेश्वर दो प्रष्ट । । अनुसार् । ट नार्वा मा विच्छ निम हत्सा नत्तुत = उमान के ने ट आहेड जारी किया गया दें जियान मान उच्य ह्यायालापु रवक्यपिक ज्वामिपुर के निय अपीला दापा दीन हेतु मा मेराने भी या अमानमी मामाप्ता A देगुसान अक्षा. केनु नोता आर्थित लोक निर्माण विभाग

FI7 35 2016(4119-

कार्यालय मुख्य अभियंता (राजधानी परिक्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग, भू-तल, निर्माण भवन अरेरा हिल्स, भोपाल

न्या.प्र. / 23 / राज.परि. / 2016

भोपाल, दिनांक 5 /3 / 2016

प्रति.

अवर सचिव. म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील क्रमांक 51/16 में पाये गये आदेश दिनांक 01.03.2016 के पालन में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2016 निराकरण करने बावत।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग वि./या संभाग क्र-2 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करें ताकि शासन हित पक्ष में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से जबावदावः प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा सके।

सहपत्र:- शून्य।

्रि—् मुख्य अभियंता (रा. प.) लोक निर्माण विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 / 3 / 2016

पृष्ठा क्रमांक / न्या.प्र. / 23 / राज.परि. / 2016 प्रतिलिपि:–

- 1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मंडल क्र-2 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग वि. / या. मंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग वि. / या. संभाग क्र-2 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- सं क्रमांक-1 के लियें।

मुख्य अभियंता (रा.प.) लोक निर्माण विभाग भोपाल

# मानंनीय उच्च न्यायालय म.प्र.खण्डपीठ ग्वालियर

रिट अपील नं.

/2016

याचिकाकर्ता :--

ओम इलेक्ट्रीकल्स फर्म द्वारा प्रो.राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री ओ.पी. शर्मा आयु—52 वर्ष, व्यवसाय— शासकीय ठेकेदार निवासी—ओम निकेतन, एम.पी.ई.बी पॉवर हाउस के पास, सागर ताल रोड, लधेड़ी ग्वालियर मध्य प्रदेश।

#### बनाम

प्रतियाचिकर्तागण :-

- म.प्र.शासन द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म०प्र०)
- मुख्य अभियंता (राजधानी परिक्षेत्र) लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन, भूतल अरेरा हिल्स भोपाल
- अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग (वि/या) मण्डल निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल
- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग वि.
  /या. संभाग क्र. 2 शेड न. 13-ए बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल म.प्र.
- अनुविभागीय अधिकरी लोक निर्माण विभाग वि. / या. उपसंभाग विदिशा म.प्र.

रिट अपील अंतर्गत अनुभाग 2 (1) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम 2005 के तहत आदेश दिनांक 04.02.2016 के विरूद्ध जोकि माननीय न्यायाधीश श्री रोहित आर्या के द्वारा प्रकरण क्रमांक WP822/16 में पारित किया गया है।

#### अपील के संक्षिप्त तथ्य:-

1) संक्षिप्त विषय वस्तु — प्रस्तुत वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी / याचिकाकर्ता के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध जारी की गई एन.आई.टी. को निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत याचिका में स्पष्ट आदेश न दिये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी की फर्म ओम इलेक्ट्रीकल्स जो कि विद्युतीकरण का कार्य ठेके पर लेकर पूर्ण करती है, याचिकाकर्ता की फर्म के द्वारा शासन के द्वारा बनवाये जा रहे जिला विदिशा में कम्पोजिट भवन तथा 3 नग सी टाईप एवं 3 नग ई टाईप क्वाटर मे विधुतीकरण का कार्य आदेश क्र. 2148 दिनांक 11.02.2011 द्वारा दिये गये वर्क आर्डर के अनुसार सिविल कार्य के उपरांत उक्त भवनो में विधुतीकरण का कार्य दिये गये समय सीमा में वर्तमान के सिविल स्ट्रक्चर मे विधुतीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर दिया गया तथा बिल भुगतान हेतु आवेदन उपरांत प्रतियाचिकाकर्तांगण द्वारा अनुबंध क्र.

2

## 1/2//

### मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

## // आदेश//

भोपाल, दिनांक /6/03/2016 क्रमांक-एफ-17-35/2016/सा./19, राज्य शासन एतद्द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (वि./यां) संभाग-क-2,भोपाल को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट अपील. क्रमांक-51/2016 द्वारा ओम ईलेक्ट्रीकलस विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- 2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 3. समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
- 6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :--
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
- (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- 7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने

और उसकी सूचना देनें में समय नष्ट नही हों।

10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।

11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित / छपा हुआ नहीं रह

12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पूनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार

मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग भोपाल, दिनांक 10/03/2016

प्र.क.-एफ-17-35/2016/सा./19 प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

रजिस्ट्रार, मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र. ।

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राजधानी-परिक्षेत्र-भोपाल

कार्यपालन यंत्री,लोक निर्माण (वि. / यां.) संभाग-क-2, भोपाल को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ दिन में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर उपस्थित होने का कष्ट करें उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ रूक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जा सके।

6. कलेक्टर-भोपाल